(50)

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

शंकरलाल बनाम राजप्रसाद

केस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 11/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/01/22 2022 / 12	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी श्री / ~~श्रीमती~~ शंकरलाल पिता श्री नन्दा भील निवासी– दमदमा तहसील व जिला चित्तौडगढ़ ने ग्राम मानपुरा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 955/783 957/783 कुल कीता 2 कुल रकबा 0.2300 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थी की ग्राम मानपुरा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 955/783, 957/783 कुल कीता 2 रकबा 0.2300 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500=00 रूपये अक्षरे पांच सौ रुपये मात्र प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो। (श्याम सुन्दर बिश्नोई) महाप्रबंधक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.) Signature Not Verified Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi Date: 2022.01.15 15:24:55 IST Reason: SelfAttested

वकालत – नामा

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

ांक / सरिश्ता / प्रा.पत्र 11 / 2021 12

दिनांक 10/01/22

तहसीलदार
~~चित्तौड़गढ़~~ / बस्सी

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध मे।

प्रकरण : शंकरलाल पिता नन्दा भील निवासी रमदमा — प्रार्थी

बनाम

1- रामप्रसाद पिता मोहनलाल खटीक नि॰ गोपालनगर
2- लालूराम पिता गोवर्धनलाल पुरोहित नि॰ गोपालनगर
3- पुरुषोत्तम पिता शंकरलाल जी काबरा हाल मुकाम शंकर किराना स्टोर गोपालनगर
4- अशोक पिता सत्यनारायण तिवारी नि॰ गोपालनगर
5- राजेन्द्र नारायणीलाल कम्पाउण्डर हाल मु॰ गोपालनगर
6- भूमिस्वामी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट

उपरोक्त विषयाकिंत अनवान के प्रकरण मे ग्राम मानपुरा खतौनी सं. 155 सम्वत् 2067- 2070 मे अकिंत आराजी नम्बर 955/783, 957/783 .... कुल किता 2 रकबा 0·2300 है. भूमि की नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकंन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावें। खर्चा कमिश्नर शुल्क रूपये 500=00 अक्षरे पांच सो रुपए .... मात्र प्रार्थी वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय मे (15 दिवस में) शीघ्र भिजावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2022.01.15 15:24:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)